0) क्रम-संख्या —252

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 25 अप्रैल, 1978

वैशाख 5, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायका अनुभाग—1

संख्या 1127/सत्रह-वि-1—19-1978

लखनऊ, 25 अप्रैल, 1978

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 24 अप्रैल, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1978 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1978)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) यह धारा और धारा 3 और 5, और धारा 4 का वह भाग जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 108–क में खण्ड (ख) बढ़ाया गया है, तुरन्त प्रवृत्त होगा जबकि इस अधिनियम का शेष भाग 1 दिसम्बर, 1977 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

अध्याय दो

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 8-क का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 8-क में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, शब्द "विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 107 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 107 में—

(एक) उपधारा (2) में, शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन सौ एक रुपये" रख दिये जायेंगे;

(दो) उपधारा (5) में, शब्द "पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ अस्सी रुपये" रख दिये जायेंगे ।

नयी धारा 108-क का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 108 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"108–क–धारा 107 और 108 में किसी बात के होते हुये भी,—

महापालिकाओं द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के अध्यापकों की नियुक्ति ।

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में यथापरिभाषित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध और किसी नगर महापालिका द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय में किसी अध्यापक की नियुक्ति उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायगी ; और

(ख) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अनुसार मान्यता प्राप्त और किसी नगर महापालिका द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था के अध्यापक या प्रधान की नियुक्ति उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायगी ।"

धारा 110 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 110 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(1) महापालिका के किसी पदाधिकारी या सेवक को, जिस प्राधिकारी द्वारा वह नियुक्त किया गया था उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत न किया जायगा न हटाया जायगा न अन्य प्रकार से दण्डित किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उस पदाधिकारी या सेवक की स्थिति में, जिसे धारा 107 के अधीन राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियुक्त किया जाना अपेक्षित है, सम्बद्ध प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह किसी ऐसे पदाधिकारी या सेवक को पदच्युत करने, हटाने या पंक्तिच्युत करने की आज्ञा देने के पूर्व विहित रीति से आयोग से परामर्श करे ।"

धारा 175 का प्रतिस्थापन

6—मूल अधिनियम की धारा 175 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"175—धारा 173 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कर इस निर्बन्धन के अधीन रहते हुए लगाया जायगा कि निम्नलिखित पर ऐसा कर न लगाया जाय,—

(1) किसी ऐसी भूमि पर जिसका उपयोग एकमात्र कृषि प्रयोजनों के लिये किया जाता हो, जब तक कि महापालिका द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए जल सम्भरित न किया जाय; या

(2) किसी ऐसे भू-खण्ड या भवन पर जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये से अधिक न हो और जिसे महापालिका द्वारा जल सम्भरित न किया जाता हो ; या

(3) किसी ऐसे भू-खण्ड या भवन पर जिसका कोई भाग निकटतम बम्बा या अन्य जल-कल से जहां पर जनता को महापालिका द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हो, उस नगर के लिए विहित अर्ध व्यास के भीतर न हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये,—

(क) 'भवन' में उसका अहाता (यदि कोई हो), और, जहां एक ही सामान्य अहाते में अनेक भवन हों, वहां ऐसे समस्त भवन और सामान्य अहाता भी सम्मिलित है ;

(ख) 'भू-खण्ड' का तात्पर्य किसी ऐसे भूमि के खण्ड से है जो किसी एकल अध्यासी द्वारा या अनेक अध्यासियों द्वारा सामान्य रूप से धृत हो जिसका कोई भी भाग किसी दूसरे भाग से किसी अन्य अध्यासी या अध्यासियों की भूमि या सार्वजनिक सम्पत्ति के द्वारा पूर्णतया पृथक-कृत न हो ।"

7—मूल अधिनियम की धारा 177 में, खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्— धारा 177 का संशोधन

"(ङ) किसी ऐसे भवन या भूमि के जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये या इससे कम हो, प्रतिबन्ध यह है कि उसके स्वामी का उसी नगर में कोई अन्य भवन या भूमि न हो और"।

अध्याय तीन

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 का संशोधन

8—यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 73 में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :— यू० पी० ऐक्ट संख्या 2, सन् 1916 की धारा 73 का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी संस्था के प्रधान या अध्यापक की नियुक्ति यथास्थिति, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 या इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होगी।"

9—मूल अधिनियम की धारा 129 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:— धारा 129 का प्रतिस्थापन

"129—धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (दस) के अधीन कर, इस निर्बन्धन के अधीन रहते हुये लगाया जायगा कि निम्नलिखित पर ऐसा कर न लगाया जाय—

(एक) किसी ऐसी भूमि पर जिसका उपयोग एकमात्र कृषि प्रयोजन के लिये किया जाता हो, जब तक कि बोर्ड द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिये जल सम्भरित न किया जाय, या

(दो) किसी ऐसे भू-खण्ड या भवन पर जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये से अधिक न हो, और जिसे बोर्ड द्वारा जल सम्भरित न किया जाता हो, या

(तीन) किसी ऐसे भू-खण्ड या भवन पर जिसका कोई भाग निकटतम बम्बा या जल-कल से, जहां पर जनता को बोर्ड द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हो उस म्युनिसिपैलिटी के लिये विहित अर्द्धव्यास के भीतर न हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) 'भवन' में उसका अहाता (यदि कोई हो), और जहां एक ही सामान्य अहाते में अनेक भवन हों, वहां ऐसे समस्त भवन और सामान्य अहाता भी सम्मिलित है,

(ख) 'भू-खण्ड' का तात्पर्य किसी ऐसे भूमि के खण्ड से है जो किसी एकल अध्यासी द्वारा, या अनेक अध्यासियों द्वारा सामान्य रूप से, धृत हो, जिसका कोई भी एक भाग किसी दूसरे भाग से किसी अन्य अध्यासी या अध्यासियों की भूमि या सार्वजनिक सम्पत्ति के द्वारा पर्णतया पृथक-कृत न हो।"

अध्याय चार

उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 का संशोधन

10—उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 55 में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43, सन् 1975 की धारा 55 का संशोधन

"(1) जिसका कोई भाग निकटतम स्थायी नल या अन्य जल-कल से, जहां पर जनता को जल संस्थान द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हो, विहित अर्द्धव्यास के भीतर न हो; या

(2) जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये से अधिक न हो, और जिसे जल संस्थान द्वारा कोई जल सम्भरित न किया जाता हो।"

अध्याय पांच

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 का संशोधन

11—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 62 में, उपधारा (5) में, शब्द "उस सीमा तक जहां तक इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल हों, प्रभावी न रह जायेंगे" के स्थान पर शब्द "किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो, लागू न होंगे" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे। उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, सन् 1966 की धारा 62 का संशोधन

अध्याय छः

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

12—(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उ० प्र० अध्यादेश संख्या 1 1977

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में, निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित अध्याय दो, तीन और चार में उल्लिखित किसी अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उपर्युक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 1127 (2) /XVII-V-1—19-1978
Dated Lucknow, April 25, 1978

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Swayatta Shasan Vidhi (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 1978) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 24, 1978.

THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF-GOVERNMENT LAWS (SECOND AMENDMENT) ACT, 1978

[U. P. Act no. 10 of 1978]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, *the U.P. Municipalities Act*, 1916, *the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act*, 1975 *and the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam*, 1965.

It is hereby enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Chapter I

Preliminary

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Second Amendment) Act, 1978.

(2) This section and sections 3 and 5, and that part of section 4 which inserts clause (*b*) in section 108-A of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 shall come into force atonce while the rest of this Act shall be deemed to have come into force on December 1, 1977.

Chapter II

Amendment of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959

Amendment of section 8-A of U.P. Act II of 1959.

2. In section 8-A of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in sub-section (1) in clause (*a*), the words "the Vishistha Sadasyas" shall be *omitted*.

Amendment of section 107.

3. In section 107 of the principal Act,—

(i) in sub-section (2), *for* the words "rupees two hundred", the words "three hundred and one rupees" shall be *substituted*;

(ii) in sub-section (5), *for* the words "rupees fifty", the words "one hundred and eighty rupees" shall be *substituted*.

Insertion of new section 108-A.

4. *After* section 108 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"108-A. Notwithstanding anything in sections 107 and 108,—

Appointment of teachers of institutions maintained by Mahapalikas.

(*a*) the appointment of a teacher in any college, affiliated to any University as defined in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 and maintained by a Nagar Mahapalika, shall be made in accordance with the provisions of that Act, and

(*b*) the appointment of a teacher or Head of an institution recognised in accordance with the Intermediate Education Act, 1921, and maintained by a Nagar Mahapalika shall be made in accordance with the provisions of that Act."

Amendment of section 110.

5. In section 110 of the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(1) No officer or servant of the Mahapalika shall be dismissed or removed or otherwise punished by an authority subordinate to that by which he was appointed :

Provided that in the case of an officer or servant whose appointment is required to be made in consultation with the State Public Service Commission under section 107, it shall be necessary for the authority concerned to consult the Commission in the manner prescribed, before passing an order for the dismissal, removal or reduction in rank of any such officer or servant."

Substitution of section 175.

6. *For* section 175 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"175. The imposition of a tax under clause (*b*) of sub-section (1) of section 173 shall be subject to the restriction that the tax shall not be imposed—

(i) on any land exclusively for agricultural purposes, unless the water is supplied by the Mahapalika for such purposes; or

(ii) on a plot of land or building the annual value whereof does not exceed rupees three hundred and sixty and to which no water is supplied by the Mahapalika; or

(iii) on any plot or building, no part of which is within the radius prescribed for the city, from the nearest stand-pipe or other water-works whereat water is made available to the public by the Mahapalika.

Explanation—For the purposes of this section—

(*a*) 'building' shall include the compound, if any, thereof, and, where there are several buildings in a common compound, all such buildings and the common compound;

(*b*) 'a plot of land' means any piece of land held by a single occupier, or held in common by several co-occupiers, whereof no one portion is entirely separated from any other portion by the land of another occupier or of other occupiers or by public property.'

Amendment of section 177.

7. In section 177 of the principal Act, *for* clause (*e*), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*e*) any building or land the annual value of which is rupees three hundred and sixty or less, provided that the owner thereof does not own any other building or land in the same city ; and"

CHAPTER III

Amendment of the U. P. Municipalities Act, 1916

Amendment of section 73 of U.P. Act II of 1916.

8. In section 73 of the U. P. Municipalities Act, 1916, hereinafter in this Chapter, referred to as the principal Act, in sub-section (2), the following proviso shall be *inserted*, namely :—

"Provided that the appointment of a teacher or Head of an institution shall be governed by the provisions of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, or the Intermediate Education Act, 1921, as the case may be."

Substitution of section 129.

9. *For* section 129 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"129. The imposition of a tax under clause (x) of sub-section (i) of section 128 shall be subject to the restriction that the tax shall not be imposed—

(i) on land exclusively used for agricultural purposes unless water is supplied by the board for such purpose; or

(ii) on a plot of land or building the annual value whereof, does not exceed rupees three hundred and sixty, and to which no water is supplied by the board; or

(iii) on any plot or building no part of which is within the radius prescribed for the municipality from the nearest stand-pipe or other waterworks whereat water is made available to the public by the Board.

Explanation—For the purposes of this section—

(*a*) 'building' shall include the compound, if any, thereof, and where there are several buildings in a common compound, all such buildings and the common compound;

(*b*) 'a plot of land' means any piece of land held by a single occupier, or held in common by several co-occupiers whereof no one portion is entirely separated from other portion by the land of another occupier or of other co-occupier or by public property."

CHAPTER IV

Amendment of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975

Amendment of section 55 of U. P. Act no. 43 of 1975.

10. In section 55 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 in clause (*b*), *for* sub-clauses (i) and (ii), the following sub-clauses shall be *substituted*, namely :—

"(i) of which no part is situate within the radius prescribed from the nearest stand-post or other water-works at which water is made available to the public by the Jal Sansthan ; or

(ii) the annual value of which does not exceed rupees three hundred and sixty, and to which no water is supplied by the Jal Sansthan."

CHAPTER V

Amendment of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965

Amendment of section 62 of U. P. Act I of 1966.

11. In section 62 of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965, in sub-section (5), *for* the words "shall to the extent of any repugnancy with the provisions of this section cease to have effect", the words "shall not apply in relation to any local area in which this Act is in force" shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*.

CHAPTER VI

Miscellaneous

Repeal and savings.

12. (1) The Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Second Amendment) Ordinance, 1977 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under any of the Acts mentioned in Chapters II, III and IV as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the aforesaid Acts, as amended by this Act, as if this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 35 (सा० विधा०)—25-4-78—700 (मेक०)।